सराहनीय कार्य

प्रेस नोट दिनांक 05.11.2026

थाना चरथावल जनपद मुजफ्फरनगर

थाना चरथावल पुलिस द्वारा फायरिंग करने वाले एक नफर अभियुक्त व दो बाल अपचारी को अभिरक्षा में लेकर उनके कब्जे से एक अदद तमंचा 315 बोर व 03 जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद किया गया।

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक महोदय, मेरठ जोन मेरठ एवं श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक महोदय, सहारनपुर परिक्षेत्र सहारनपुर के निर्देशन में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय, जनपद मुजफ्फनगर श्री संजय कुमार वर्मा के पर्यवेक्षण में पुलिस अधीक्षक नगर, क्षेत्राधिकारी सदर व थाना प्रभारी चरथावल के कुशल नेतृत्व में थाना चरथावल पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही।

घटना का संक्षिप्त विवरण- दिनांक 04.10.2026 को श्री फुरकान पुत्र आसिक अली मो0नं0 9758851532 उम्र करीब 40 वर्ष की तहरीर बाबत अभियुक्तगण द्वारा मुकदमा वादी के बच्चों के साथ मुरकीपुर व क्यामपुर के रास्ते में रोककर गाली गलौच व मारपीट करना तथा समय करीब 04.10 बजे शाम को गांव कयामपुर में आकर अवैध फायरिंग कर जान से मारने की धमकी देने प्राप्त हुआ जिसके आधार पर थाना चरथावल पर अ0सं0 207/26 धारा 109(1)/126(2)/115(2)/352/351(3) बीएनएस पंजीकृत कर विवेचना उ0नि0 श्री विशाल राठी के सुपुर्द की गयी दौराने विवेचना दिनांक 06.11.2026 को उ0नि0 विशाल राठी द्वारा मय फोर्स के मुश्कीपुर क्यामपुर चौराहे पर बडगांव की तरफ से अभियुक्त शुभम राणा पुत्र रमेश उम्र करीब 19 वर्ष निवासी ग्राम दल्हेडी थाना बडगांव जिला सहारनपुर को समय करीब 01.09 बजे गिरफ्तार व बाल अपचारियो को थाना चरथावल पर नियुक्त बाल कल्याण अधिकारी द्वारा नियमानुसार अभिरक्षा में लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त शुभम राणा उपरोक्त के कब्जे से एक अदद तमंचा 315 बोर व तीन जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद हुए जिसके आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 9/25 आर्म्स एक्ट की बृद्धि की गयी। अन्य वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

शुभम राणा पुत्र रमेश उम्र करीब 19 वर्ष निवासी ग्राम दल्हेडी थाना बडगांव जिला सहारनपुर

अभिरक्षा/गिरफ्तारकर्ता पुलिस टीम-

उ0नि0 श्री विशाल राठी

उ0नि0 श्री सतवीर सिंह सादा वस्त्रो में

का0 75 सतीश मलिक

का0 2117 राजेश

का0 1317 संजय